

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०ई०-6-6011/2013 श्र०सं०...../श्री अविनाश कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार-जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान) को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं-59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वरीय उप समाहर्ता, शिवहर के पद पर चयन के उपरांत योगदान देने हेतु गहन रखते हुये अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

2. श्री कुमार द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार उनका बिहार नियोजन सेवा के नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पद पर गहन विरमन की तिथि से दो वर्ष या वरीय उप समाहर्ता के पद पर सेवा सम्पुष्टि की तिथि (जो भी पहले हो) तक बरकरार रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

( सूर्यकान्त मणि )

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई०-6-6011/2013 श्र०सं०.....178...../ पटना-01, दिनांक-08/01/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष)/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना सं०-16580 दिनांक 19.12.18 के आलोक में/जिला पदा० गोपालगंज/जिला पदा० सिवान/जिला पदा० शिवहर/ बिहार नियोजन सेवा के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/01/19

सरकार के उप सचिव।

08/01/19